

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:- श्री मासिंगा राम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 108 / 2022

वादीगण	वनाम	प्रतिवादीगण
1. केसरकंवर पत्नि धनश्यामसिंह	1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मोहनदास वैष्णव जाति	
2. जयपालसिंह पुत्र धनश्यामसिंह	वैष्णव निवासी सोजत रोड	
जातिगण राजपुत निवासीगण	2. विजयसिंह पुत्र धनश्यामसिंह निवासी	
खोखरा तह0 सोजत	खोखरा	
	3. तहसीलदार भूमि धारक, सोजत	
	4. मिरगादेवी पत्नि मालाराम जाति देवासी	
	निवासी रायकों की ढाणी खोखरा तह0	
	सोजत	

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:-

1. श्री ताराचन्द टांक, निकिता दवे, अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
श्री महेन्द्र चौधरी, श्री भरतनाथ अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित।



:- निर्णय :-

दिनांक - 15/01/2025

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम खोखरा पटवार हल्का खोखरा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1641/1, 1644/1, 653, 720/1 कुल खसरा 04 कुल रकबा 5.4500 हैक्टर की आई हुई स्थित है। वादीगण द्वारा उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा चाहा गया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद विधिक सुनवाई दिनांक 22.05.2024 को वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादीगण की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/राजस्व /1683 दिनांक 11.11.2024 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी तहसीलदार सोजत को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रमाणित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार होने से माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अनुसार वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते हैं।

:- आदेश :-

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अनुसार डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम खोखरा पटवार हल्का

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

द्वारा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1641/1, 1644/1, 653, 720/1 कुल खसरा 04 कुल रकबा 5.4500 हेक्टर की वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 व 05 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शों को निर्णय एवं डिकी पर्चा का भाग बनाया जाता है -

01 ग्राम खोखरा में स्थित कृषि भूमि का विभाजन:-

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	केशर देवी पत्नि घनश्यामसिंह हि0 1/2, जयपालसिंह पुत्र घनश्यामसिंह 1/2, जाति राजपुत सा0दे0 खातेदार / रहन जयपालसिंह का0हि0 1/2 रहन एबीबीजे शाखा सोजत रोड	1641/1	0.7900	जा.अ.	3.46
		653	0.4534	बंजड	2.72
		720/1	0.7500	बा.अ.	4.50
		03	1.9934		
2.	मीरगा देवी पत्नि मालाराम जाति देवासी सा. देह खातेदार	1641/2	0.82	चा.प्र. जा.प्र. बंजड	10.70
		01	0.82		
3	केशर देवी पत्नि घनश्यामसिंह हि0 1/2, जयपालसिंह पुत्र घनश्यामसिंह 1/2, जाति राजपुत सा0दे0 खातेदार / रहन जयपालसिंह का0हि0 1/2 रहन एबीबीजे शाखा सोजत रोड	1644/2	0.7900	जा.अ.	3.46
		653/1	0.4534	बंजड	2.72
		720/2	0.7500	बा.अ.	4.50
		03	1.9934		
4	विजयसिंह पुत्र घनश्यामसिंह जाति राजपुत सा0 देह खातेदार	1644/2	0.3950	जा.अ.	1.73
		653/1	0.2266	बंजड	1.36
		720/2	0.3750	बा.अ.	2.25
		03	0.9966	बा.अ.	

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। उक्तानुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो



(मासिगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
राजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 15/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

डिक्री बमुकदमें इत्तदाई

(ओ020 नियम 6-7 जाका दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बइजलाश श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. केसरकंवर पत्नि घनश्यामसिंह	1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मोहनदास वैष्णव जाति	
2. जयपालसिंह पुत्र घनश्यामसिंह	वैष्णव निवासी सोजत रोड	
जातिगण राजपुत निवासीगण	2. विजयसिंह पुत्र घनश्यामसिंह निवासी खोखरा	
खोखरा तह0 सोजत	3. तहसीलदार भूमि धारक, सोजत	
	4. मिरगादेवी पत्नि मालाराम जाति देवासी	
	निवासी रायकों की ढाणी खोखरा तह0 सोजत	

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :-108/2022

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री ताराचन्द्र टांक, निकिता दवे अधिवक्ता वादीगण तथा श्री महेन्द्र चौधरी, श्री भरतनाथ अधिवक्ता प्रतिवादी पेश होकर हुकम दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम खोखरा पटवार हल्का खोखरा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1641/1, 1644/1, 653, 720/1 कुल खसरा 04 कुल रकबा 5.4500 हैक्टर की वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 व 05 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है -

01 ग्राम खोखरा में स्थित कृषि भूमि का विभाजन :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	केशर देवी पत्नि घनश्यामसिंह हि0 1/2, जयपालसिंह पुत्र घनश्यामसिंह 1/2, जाति राजपुत सा0दे0 खातेदार / रहन जयपालसिंह का0हि0 1/2 रहन एबीबीजे शाखा सोजत रोड	1641/1	0.7900	जा.अ.	3.46
		653	0.4534	बंजड	2.72
		720/1	0.7500	बा.अ.	4.50
		03	1.9934		
2.	मीरगा देवी पत्नि मालाराम जाति देवासी सा. देह खातेदार	1641/2	0.82	चा.प्र.	10.70
				जा.प्र.	
		01	0.82	बंजड	
3.	केशर देवी पत्नि घनश्यामसिंह हि0 1/2, जयपालसिंह पुत्र घनश्यामसिंह 1/2, जाति राजपुत सा0दे0 खातेदार / रहन जयपालसिंह का0हि0 1/2 रहन एबीबीजे शाखा सोजत रोड	1644/2	0.7900	जा.अ.	3.46
		653/1	0.4534	बंजड	2.72
		720/2	0.7500	बा.अ.	4.50
		03	1.9934		
4.	विजयसिंह पुत्र घनश्यामसिंह जाति राजपुत सा0 देह खातेदार	1644/2	0.3950	जा.अ.	1.73
		653/1	0.2266	बंजड	1.36
		720/2	0.3750		

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

			वा.अ.	2.25
			वा.अ.	
	03	0.9966		

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अगल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काशत में दखल अन्दाजी करने से जरिये रथाई निपेघाजा रोका जाता है। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद तकमील/तरतीव जादा दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

मीजान - मुबलिंग - बाबत --

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

वशित मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15/07/2025 को जारी

गई।

(मासिगा राम)

उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.

(मासिगा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)